न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी- ममता रोहिला, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सीआईएस सं.- 1713/15

प्राथमिकीकर्ता का नाम	शंकरलाल पुत्र रामकिशोर निवासी वार्ड नम्बर 12 रींगस जिला सीकर।
अभियुक्तगण का नाम एवं पता	1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र सत्यनारायण, 2. दिनेश पुत्र सत्यनारायण, 3. मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्रप्रसाद, निवासीगण वार्ड नम्बर 14 रींगस जिला सीकर।
अपराध अन्तर्गत धारा	341, 323 भारतीय दण्ड संहिता
अभियुक्तगण का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही
प्राथमिकी संस्थित करने की दिनांक	22.09.2014
अभियोजन साक्षी	पी ड 1 राजेन्द्रप्रसाद, पी ड 2 शंकरलाल, पी ड 3 डा. अंकूर, पी ड 4 घासीराम, पी ड 5 विश्वनाथ
अभियोजन दस्तावेज	रिपोर्ट प्रदर्शपी 1, चोट प्रतिवेदन शंकरलाल प्रदर्शपी 2, एक्सरे प्लेट कवरनोट प्रदर्शपी 3, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 4, नक्शा मौका प्रदर्शपी 5
अभियुक्तगण साक्षी	कोई नहीं
निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	--
निर्णय दिनांक	15.04.2026
अन्तिम निर्णय	15.04.2026
अधिवक्ता राज्य की ओर से	श्री सहायक लोक अभियोजक
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री रघुनाथसिंह शेखावत

-- नि र्ण य -- दि नां क-15.04.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2014 को परिवादी शंकरलाल ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.09.2014 को रात्रि करीब आठ बजे मनोज कुमार दुकान पर बुलाने आया और कहा कि पापा से बकाया पैसे ले जाओ। वह दुकान पर गया तो उसे राजेन्द्र, दिनेश व मनोज ने दुकान

पर घसीट लिया और कहा कि खाली कागज पर हस्ताक्षर कर दो उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट व गाली गलौच की। उसके रूपये निकाल लिये, इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस ने मुकदमा नम्बर 398/14 अन्तर्गत धारा 341, 323, 379 भादसं. में दर्ज कर बाद अनुसंधान प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू झूंठ में न्यायालय में पेश किया गया जिस पर परिवादी की ओर से नाराजगी याचिका पेश की गई तथा न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य पेश की गई।

3. तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2015 को अभियुक्तगण राजेन्द्र, दिनेश एवं मनोज के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323 भादसं. का अपराध प्रथम दृष्टया पाये जाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये।

4. अभियुक्तगण को धारा 341, 323 भा.दं.सं. के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने गवाह पी ड 1 से पी ड 5 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी 1 लगायत 5 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया, प्रकरण में उसे झूंठा फसाया जाना व स्वयं का निर्दोष होना कथन किया है। साक्ष्य सफाई में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

7. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रष्न यह है कि-

1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 21.09.2014 को समय रात्रि करीब 8.00 बजे या इसके आसपास मौजा रींगस में परिवादी/मजरूब शंकरलाल को अपने गतंव्य स्थान की ओर जाते हुये को रोककर सदोष अवरोध कारित किया गया तथा मजरूब शंकरलाल के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की। एतद्द्वारा अभियुक्तगण ने धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2. यदि हां तो अभियुक्तगण को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा ?

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिये है कि हस्तगत प्रकरण अभियोजन अपने पक्ष में संदेह से परे प्रमाणित करवाने में असफल रहा है। प्रकरण में मुख्य व महत्वपूर्ण साक्षीगण ने घटना की ताईद न्यायालय बयानों में नहीं की है। प्रकरण में अधिकांश गवाह हितबद्ध है जिनके बयानों में परस्पर विरोधाभास है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया गया है। प्रकरण में नक्शे मौके के गवाहान ने नक्शे मौके को साबित नहीं किया है। गवाहान के बयानों में तात्विक विरोधाभास है।

अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध आरोपित अपराधों से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, प्रकरण में सन्देह उत्पन्न होता है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुये तर्क दिया है कि अभियोजन की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

10. उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन व परिशीलन किया गया।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य की विवेचना की जाए तो उक्त आरोपों के सम्बन्ध में **परिवादी रिपोर्टकर्ता शंकरलाल** न्यायालय में **पी ड 2** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.09.2014 को शाम करीब 08 बजे उसे मनोज बुलाने आया। वह गया तो मनोज ने उसका गला पकड लिया और खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये। राजेन्द्र व दिनेश ने उसे लात घूंसों से मारपीट की थी। राजेन्द्र ने आकर छुडाया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 4, नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी चोटों का डाक्टरी मुआयना हुआ था।

12. मौके का साक्षी **पी ड 1 राजेन्द्र प्रसाद** ने बयान दिया कि दिनांक 21.09.2014 को 08 बजे वह दुकान बंद करके जा रहा था। लोग एकत्रित हो रहे थे। शंकर के साथ राजेन्द्र, दिनेश व मनोज हाथों और पैरों से नीचे गिराकर मारपीट कर रहे थे। उसने व विष्णु ने बीच बचाव करवाया था।

13. मौके का साक्षी **पी ड 4 घासीराम** ने बयान दिया कि दिनांक 21.09.2014 को शाम को आठ बजे वह शंकरलाल की दुकान पर गया, राजेन्द्र के पैसे का लेनदेन था। वहां पर हाथापाई हुई तो वह भी वहां पर चला गया। राजेन्द्र ने शंकरलाल को गाली गलौच व मारपीट की थी।

14. मौके का साक्षी **पी ड 5 विश्वनाथ** ने बयान दिया कि दिनांक 21.09.2014 शाम को 08 बजे की बात है। उसकी दुकान राजेन्द्र की दुकान के सामने है। उसकी दुकान पर हो हल्ला होने पर वह व राजेन्द्र गये तो वहां पर शंकरलाल के साथ दिनेश, राजेन्द्र व मनोज मारपीट कर रहे थे। इन लोगों ने शंकरलाल को नीचे पटक दिया व गला दबा दिया। वह, राजेन्द्र व अन्य ने मिलकर छुडा दिया था।

15. उक्त गवाहान परिवादी/मजरूब व मौके के अहम व महत्वपूर्ण साक्षी है जिन्होंने अभियुक्तगण द्वारा मजरूब शंकरलाल को रोककर उनके साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित करने के तथ्य की पुष्टि अपने अपने न्यायालय बयानों में की है। उक्त गवाहान की प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है जिससे बरवक्त घटना अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित नहीं की गई हो। इस प्रकार परिवादी व गवाहान के मुख्य परीक्षा में दिये गये कथन अखण्डित रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा मजरूब के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाने के तथ्य की पुष्टि होती है।

16. चिकित्साधिकारी **पी ड 3 डा. अंकुर** ने बयान दिया कि उसने मजरूब शंकरलाल के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 2 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी चिकित्साधिकारी है जिसने मजरूब के शरीर पर आई चोटों का स्वयं द्वारा तैयार किये गये चोट प्रतिवेदन से साबित किया है।

17. प्रकरण में उपरोक्तानुसार आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण के आहत के साथ मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में गवाहान की मौखिक कथनों की ताईद कार्यवाही पुलिस में अंकित कथनों से भी होती है तथा उक्त तथ्यों की ताईद पत्रावली पर उपलब्ध आहत के चोट प्रतिवेदनों से भी होती है जो घटना होने के दूसरे दिन दिनांक 22.09.2014 को बनाया गया है। इसके अलावा नक्शे मौके के साक्षियों ने नक्शे मौके को बखूबी साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्तगण के द्वारा सुसंगत दिनांक, समय एवं स्थान पर परिवादी/मजरूब शंकरलाल को अपने गतंव्य स्थान की ओर जाते हुये को रोककर उनके साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

18. अतः अभियुक्तगण 1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र सत्यनारायण, 2. दिनेश पुत्र सत्यनारायण, 3. मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्रप्रसाद, निवासीगण वार्ड नम्बर 14 रींगस जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला-सीकर(राज.)

19. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षकारान् को सुना गया। विद्वान् अभिभाषक अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत चुका है ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने व प्रकरण लम्बित नहीं होने बाबत् पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाए जाने की प्रार्थना की। जबकि विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए समुचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

20. उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अनुशीलन व परिशीलन किया। अभियुक्तगण वर्ष 2015 से अन्वीक्षा की पीड़ा भोग चुके है। पूर्व में दोषसिद्धी बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है एवं प्रथम अपराध के क्रम में भी अभियुक्तगण द्वारा शपथ-पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को तुरन्त कारावास से दण्डित किए जाने के जाने के बजाए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

21. अतः अभियुक्तगण 1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र सत्यनारायण, 2. दिनेश पुत्र सत्यनारायण, 3. मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्रप्रसाद, निवासीगण वार्ड नम्बर 14 रींगस जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भादसं. के आरोप के तहत दोषसिद्ध घोषित पाये जाने पर अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ इन शर्तों पर प्रदान किया जाता है कि अभियुक्तगण एक वर्ष की अवधि के 10 हजार रूपए की राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय के पेश कर तस्दीक कराए कि वह उक्त अवधि के दौरान सदाचार व शांति बनाए रखेगा, उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा उक्त शर्तो के उल्लंघन पर दण्डादेश ग्रहण किए जाने हेतु न्यायालय जब भी बुलाएगा स्वयं न्यायालय में हाजिर हो जावेगा तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानों का लाभ दिया जावे। साथ ही अभियुक्तगण पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत रूपये 500/-रूपये अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते हैं।

22. अभियुक्तगण को धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता कि वे भविष्य में किसी भी नियोजन/कायर्वाही के सम्बन्ध में दोषसिद्धि से संलग्न निर्हरता से ग्रस्त नहीं होंगे।

23. साथ ही अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उन्हें पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है तथा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया है।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला-सीकर(राज.)

24. आदेश आज दिनांक 15.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर(राज.)